प्रेस नोट संख्या- 35
दिनांक- 16.01.2025
सराहनीय कार्य जनपद अमेठी ।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध निवारण अधिनियम के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गयी अवधि 02 वर्ष 08 माह तथा 200 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन मे एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्धं माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में **operation conviction** अभियान के अन्तर्गत अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटिरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय रायबरेली में मु0अ0सं0 60/1994 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना जायस जनपद अमेठी के अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार पुत्र अवधेश कुमार सिंह निवासी सादिका बाजार मजरे अरखा का पुरवा थाना ऊंचाहार जनपद रायबरेली को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय रायबरेली द्वारा अभियुक्त को आज दिनांक 16.01.2025 को धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम में जेल में बिताई गयी अवधि 02 वर्ष 08 माह तथा 200 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा उ0नि0 श्री प्रेमचन्द्र चतुर्वेदी थाना जायस जनपद अमेठी द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 10 किलोग्राम गोमांश बरामद होने पर दिनांक 05.08.1994 को समय 01.15 बजे थाना जायस पर मु0अ0सं0 60/1994 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत कराया गया था तथा विवेचक उ0निरी0 प्रेमचन्द्र चतुर्वेदी द्वारा विवेचना की गयी थी। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-48 दिनांक 20.09.1994 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।